हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
	प्रेम बनाम भीमसिंह वगैरह T.S.	
5/2/20	तारीख पेशी अनलॉक नो डेट के बदली जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीया उप० पूर्वानुसार तलबी की जावे। पत्रावली दिनांक 5/1/21 को पेश हो। [signature]	
5/1/21	वकील ~~फरीकेन~~ प्रार्थीया उप०/ ओ SDO साहब अवकाश / दौरे पर पधारे है। पूर्वानुसार दिनांक...1/2/21...को पेश हो। [signature]	
1/2/21	वकील प्रार्थीया उप० अप्रार्थी सं. 1 ता 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये हैं इसलिए उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 8/2/21 को पेश हो। [signature]	
8/2/21	वकील प्रार्थीया उप० पूर्वानुसार वास्ते बहस दि० 15/2/21 को पेश हो। SDO साहब दौरे पर पधारे हैं। [signature]	
15/2/21	वकील ~~फरीकेन~~ प्रार्थीया उप०/SDO साहब दीगर कार्यों में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि०23/2/21...को पेश हो। [signature]	
23/2/21	वकील प्रार्थीया उप० पूर्वानुसार वास्ते बहस दिनांक 9/3/21 को पेश हो। [signature]	
9/3/21	वकील प्रार्थीया उप० बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थीया सुनी गई। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
46/19	अस्थायी निषेधाज्ञा	30.07.19	09.03.2021

प्रेम पत्नि उदयराज उम्र 50 साल जाति मीना निवासी डिकोली कलॉ तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रार्थीया

बनाम

01. भीमसिह
02. रामधारी
03. रामजीत

पुत्रान स्व0 उदयराज जाति मीना निवासीयान डिकोली कलॉ तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण तथा तरतीबी अप्रार्थीगण सं0 4 ता 6 के संयुक्त स्वामित्व की आराजी खसरा नं0 248 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं0 260 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 285 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा , खसरा नं0 300 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं0 389 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं0 390 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नं0 488 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 489 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं0 571 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम डिकोली कलॉ तहसील सपोटरा मे स्थित है। प्रार्थीया के पति स्व0 उदयराज की मृत्यु हो जाने के बाद प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण ने आपस मे मौखिक बंटवारा कर मौके पर अपने अपने हिस्से पर काबिज हो गये थे तथा तभी से सभी अपने अपने मुताबिक हिस्सा पर काबिज होकर जोते बोते काश्त करते हुए एवं अपनी सुविधा अनुसार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिसमे प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण को कभी कोई परेशानी पैदा नही हुई लेकिन असल अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 चालाक, आपराधिक एवं बुरे व्यसनों के आदि होने के कारण एवं अपने बुरे व्यसनों की पूर्ति हेतु प्रार्थीया के कब्जे काश्त की आराजीयात को जबरन लाठी की ताकत पर हड़पकर उसे उसकी हिस्सा आराजी से जबरन बेदखल कर आराजी विहीन करना चाहते है। दिनांक 28.07.19 को जब प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं0 1 ता 3 से आराजी विवादित का विधक विभाजन कराने को कहा तो अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने खुले आम एलानिया धमकी दी कि हम तुझे तेरे हिस्से की आराजी पर काश्त नही करने देंगें तथा तेरे हिस्से आराजी को अपने हिस्से आराजी से मिलाकर तुझे जबरन आराजी विहीन कर देंगे। इसलिए प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 बावजूद तामील उपस्थित नही आये इसलिए इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

बहस वकील प्रार्थीया एक पक्षीय सुनी जाकर उस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मुताबिक जमावंदी सम्वत् 2073–76 विवादित आराजीयात प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं0 1 त 3 की संयुक्त खातेदारी की दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 3 आपस मे मॉ–बेटे है। उभय पक्षकारान आपस मे एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थाना पत्र से संबन्धित दावा प्रार्थमिक डिक्री हो चुका है। इसलिए दोनो पक्षों को दावा के अंतिम निर्णय तक पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला–करौली

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम डिकोली कलॉ तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 248 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं0 260 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 285 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा , खसरा नं0 300 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं0 389 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं0 390 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नं0 488 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 489 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं0 571 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा के राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(ओम प्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली